न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 104/2018

1. शंकरसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति राजपूत आयु 50 वर्ष निवासी रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जरिये पत्नि गौरा कंवर जाति राजपूत आयु 50 वर्ष निवासी रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 9166649477
2. दशरथ सिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपूत आयु 23 वर्ष निवासी रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

—— वादीगण

बनाम

1. जीतरसिंह पुत्र लालसिंह आयु 55 वर्ष
2. बबूसिंह पुत्र लालसिंह आयु 45 वर्ष
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.
3. भूमिधारक तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.
4. सब रजिस्ट्रार सब तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.
5. पटवारी, पटवार हल्का करड़का (रूपपुरा उदलवास) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

——प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड

उपस्थित– 1. विद्वान एडवोकेट बनवारीलाल कुडी वकील वादीगण
2. विद्वानएडवोकेट वैशाली चौहान वकील प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

निर्णय

दिनांक – 04.01.2021

संक्षेप में वाद वादीगण इस प्रकार है भूमि खसरा नंबर 191, 197, 211, 346, 357, 359, 360, 361, 648, 649, 652, 706, 707 कुल किता 13 रकबा 7.51 हैक्टेयर तन रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान के 1/4 हिस्से के खातेदार वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 बहिस्सा बराबर दर्ज है एवं शेष 3/4 हिस्से के खातेदार अन्य सहकाश्तकार उम्मेदसिंह आदि है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 सगे भाई हैं एवं तीनों ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बंटवारा पारिवारिक समझौते अनुसार कर रखा है और याद्दाश्ती के रूप में जो पारिवारिक समझौता किया गया था, वह दिनांक 16.02.2009 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर मय दो पाईप पेपर पर टाईप कर नोटेरी से तस्दीक करा दिया था, ताकि सनद रहे व भविष्य में विवाद नहीं हो। एवं उसी के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। आपसी पारिवारिक समझौते के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 706 रकबा 0.12 हैक्टेयर का 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिवादी छीतरसिंह के हिस्से में आया हुआ है। खसरा नम्बर 707 रकबा 1.33 हैक्टेयर में से रकबा 1 हैक्टेयर भूमि की 1/4 हिस्सा जो वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का है, उसमें से 1/4 हिस्सा यानि रकबा 1 हैक्टेयर में से चौथा हिस्सा छीतरसिंह के हिस्से में आया हुआ है और इसी खसरा नम्बर में से रकबा 0.33 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा दक्षिण की तरफ बाबूसिंह के हिस्से में आया हुआ है और इस भूमि में जो कुआ था, जिसमें ट्यूबवैल लगा रखा है, वो अकेले छीतरसिंह के हिस्से में आया हुआ है व खसरा नम्बर 648, 649, 652 तन रूपपुरा उदलवास में तीनों भाईयों का 1/4 हिस्सा था, यह 1/4 हिस्सा भी प्रतिवादी छीतरसिंह को दिया गया था व भूमि खसरा नम्बर 126, 160 का पूरा 1/4 हिस्सा वादी शंकरसिंह को दिया गया था व खसरा नम्बर 346 रकबा 0.38 हैक्टेयर अविदित रामपुरा वाली बेरी का भी 1/4 हिस्सा वादी शंकरसिंह के हिस्सा में आई हुई है एवं भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.49 हैक्टेयर रूपपुरा उदलवास का 1/4 हिस्सा तीनों भाईयों का था, वह 1/4 हिस्सा बाबूसिंह के हिस्से में आया हुआ था, परन्तु बाबूसिंह ने इस 1/4 हिस्से का बेचान वादी शंकरसिंह को कर दिया था। इस प्रकार वादी शंकरसिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 211 का 1/4 हिस्सा, 346 का 1/4 हिस्सा भी वादी शंकरसिंह के हिस्से में आया हुआ है व रामपुरा वाली बेरी जिसके खसरा नम्बर 160 व 126 थे, उसका भी 1/4 हिस्सा वादी के हिस्से में आया था, उसमें छीतरसिंह के हिस्से में 11 बीघा कच्ची भूमि दी गई थी। वह भी वादी को दे दी गई थी अर्थात खसरा नम्बर 160, 126 का पूरा 1/4 हिस्सा वादी के हिस्सा में आया हुआ है। इसी प्रकार भाई बंटवारे के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 191, 197, 211, 359, 360, 361, 648, 649, 652, 706, 707 का 1/4 हिस्सा जो वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है व सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को दे दिया गया था उक्त दोनो 1/4 हिस्से पर काबिज है। वादी ने प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को भाई

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 211 व 346 के 1/4 हिस्से की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने का कहा, तो वे हां करते रहे व वादी की अनुपस्थिति में उसकी पत्नि गौरा कंवर के साथ दिनांक 21.06.2018 को झगड़ा – फसाद करने को उतारू हो गये व धमकी दी कि वे उसे इन खसरा नम्बर से बेदखल करेंगे, इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ। यह पारिवारिक बंटवारा मौखिक रूप से करीब 20 वर्ष पूर्व कर लिया गया था, लेकिन पारिवारिक समझौता लिखित रूप से याददाश्ती के रूप में दिनांक 16.02.2009 को लिखा गया था व उससे पक्षकारान पाबंद है। वादी के नाम भूमि खसरा नम्बर 126, 160 का 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज हो चुका है, जिसकी अलग से जमाबंदी बंटवारे के अनुसार 126/2, 160/2 कुल किता 2 रकबा 0.54 हैक्टेयर की खातेदारी अकेले वादी के नाम दर्ज हो चुकी है, केवल खसरा नम्बर 346 और 211 के 1/4 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज होना बाकी है, जो वादी अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है व खसरा नम्बर 191, 197, 357, 359, 360, 361, 648, 649, 652, 706, 707 में से अपना 1/4 हिस्सा हटाकर प्रतिवादीगण के नाम उनकी ईच्छानुसार खातेदारी दर्ज करवाने को तैयार है। भूमि खसरा नम्बर 211, 346 तन ग्राम रूपपुरा उदलवास के 1/4 हिस्से की खातेदारी वादी अकेले के नाम दर्ज न होने से वादी को काफी हकतल्फी है एवं वादी के कानूनी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दिनांक 21.06.2018 से वादीगण के कब्जे में मजाहमंत करने में तुले हुये है एवं शांति से वादी की पत्नि गौरा कंवर व उसके पुत्र दशरथसिंह को काश्त नहीं करने दे रहे है और बेदखली की धमकी दे रहे है व कब्जा करने पर आमादा है एवं भूमि को अंतरण करने की धमकी दे रहे है, इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ। अगर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 भूमि खसरा नम्बर 346, 211 के 1/4 हिस्सा व भूमि खसरा नम्बर 126/2, 160/2 सम्पूर्ण से बेदखल कर देंगे, तो वादी ओर मुकदमेंबाजी के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो जायेगाा, इसलिये दावा पेश करना आवश्यक है। प्रतिवादीगण पारिवारिक समझौते से पाबंद है एवं समझौते के अनुसार 20 वर्ष में अपने हिस्से की भूमि पर जो बंटवारे में प्राप्त हुई है, उससे वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा बेदखल करने को कोई अधिकार नहीं है। वादी शंकरसिंह दुबई में मजदूरी करता है और 1 महीने की छुट्टी में गांव रूपपुरा उदलवास में आया हुआ था और वह दिनांक 06.06.2018 को वापस दुबई चला गया और उसके जाने के बाद में दिनांक 21.06.2018 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 झगड़ा करने पर उतारू हो गये, इसलिये वादी शंकरसिंह की पत्नि गौरा कंवर व उसके पुत्र दशरथसिंह ने जो सम्पूर्ण भूमि की देखभाल करते है, वे ही काबिज है, इसलिये दावा जरिये पत्नि गौरा कंवर व वादी पुत्र दशरथसिंह के द्वारा पेश किया जा रहा है। यह भूमि वादी को उसके पिता लालसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है, इसलिये इस भूमि में अपने पिता वादी के साथ वादी का भी हिस्सा कानूनन है, इसलिये भूमि उक्त दोनों को दावा पेश करने का अधिकार है। बिनाय दावा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा दिनांक 21.06.2018 को

कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
साधोपुर (सीकर)

बेदखल करने की धमकी देने व जबरन कब्जा करने की धमकी से बिनाय दावा दिनांक 21.06.2018 को उत्पन्न हुआ। दावा अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है। सकूनत फरीकेन व विवादग्रस्त भूमि अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित है व अदालत हाजा को दावा सुनने का अधिकार है। वादीगण का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमल का डिक्री फरमाया जावे कि :–

क. यह है कि घोषणा की जावे कि भूमि खसरा नम्बर 346 व 211 का 1/4 हिस्सा भाई बंटवारे के अनुसार व पारिवारिक समझौते के अनुसार वादी नम्बर 1 के हिस्से में आया हुआ है एवं पिछले 20 वर्ष से काबिज काश्त है, इसलिये वादी नम्बर 1 खसरा नम्बर 346, 211 तन रूपपुरा उदलवास के 1/4 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है व घोषणा की जावे कि वादी खसरा नम्बर 346, 211 तन रूपपुरा उदलवास के 1/4 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज कराने का अधिकार है।

ख. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह अपने परिवारजन से या अन्य अपने सहयोगियों से वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 126/2, 160/2 कुल किता 2 रकबा 0.54 हैक्टेयर व भूमि खसरा नंबर 346, 211 तन रूपपुरा उदलवास के 1/4 हिस्सा तन रूपपुरा उदलवास से बेदखल न करें, न कब्जा काश्त में मजाहमत करे, न वादीगण को बेदखल करे व अपने परिवारजन, सहयोगियों से करवाये एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा कोई अंतरण, रहन लेख प्रस्तुत करने पर उसे तस्दीक नहीं करे, न ही राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करें।

वादीगण का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 जरिये वकील हाजिर आये एवं वादीगण के पक्ष में राजीनामा व कबूल दावा पेश किया। वादीगण ने कबूल दावा स्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरुद्ध वाद विड्रा किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादीगण ने वाद के समर्थन में साक्ष्य में प्रतिवादी छीतरमल व गोरा कंवर के लेखितशुदा शपथ पत्र पेश किये जिन पर जिरह प्रतिवादी शून्य रही। वादीगण ने न्यायालय उपखण्ड श्रीमाधोपुर दावा संख्या 18/2010 शंकर सिंह बनाम मोहन सिंह में पारित निर्णय दिनांक 23.6.2011 दस्तावेज के रुप में प्रस्तुत किये। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 इस आशय पेश यह कि पक्षकारान ने आपसी सहमति से राजीनामा बंटवारा का सन् 2009 में किया था व इकरारनामा भी लिखा था। उस बंटवारा के आधार पर दावा पेश किया गया है, परन्तु विवादित भूमियों में उस समय वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा बाद में परिवर्तन कर दिया गया। उक्त बंटवारा हुआ, उसके अनुसार राजीनामा भी पेश कर रखा है,

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

परन्तु भूमियों में पक्षकारान का 1/4 हिस्सा था, उसके स्थान पर तीनों का हिस्सा जमाबंदी में क्रमशः 641/18024, 641/18024, 641/18024 कुल 1923/18024 दर्ज कर दिया गया है। उसी के अनुसार बंटवारा किया जाना संभव है। इस कारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी निम्न प्रकार सेवामें पेश है, वर्तमान जमाबंदी में हिस्सा दर्ज है उसी के अनुसार डिक्री करवाना चाहते हैं। तथा भूमि खसरा नम्बर 191 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 648 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 1.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 5.31 हैक्टेयर तन रूपपुरा उदलवास में वर्तमान में 641/18024 हिस्सा वादी शंकरसिंह के नाम, 641/18024 हिस्सा प्रतिवादी छीतरसिंह के नाम व 641/18024 हिस्सा प्रतिवादी बाबूसिंह के नाम खातेदारी में है। तीनों का कुल हिस्सा 1923/18024 हिस्सा है। यह सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 छीतरसिंह के हिस्सा में आया हुआ है, इसलिये खसरा नम्बर 191 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 197 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 648 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 1.69, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 5.31 हैक्टेयर तन रूपपुरा उदलवास के 1923/18024 हिस्स का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 छीतरसिंह को घोषित कर दिया जावे व उपरोक्त खसरा नम्बरान से 641/18024 हिस्सावादी व 641/18024 हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 2 बाबूसिंह का नाम हटा दिया जावे। तथा इस प्रकार बंटवारा के अनुसार वादी शंकरसिंह के हिस्सा में भूमि खसरा नम्बर 346 रकबा 0.38 हैक्टेयर तन रूपपुरा उदलवास का तीनों का हिस्सा आया है, इसलिये राजीनामा के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 346 रकबा 0.38 हैक्टेयर तन रूपपुरा उदलवास के 1923/18024 हिस्सा का खातेदार वादी शंकरसिंह को घोषित कर दिया जावे व इस खसरा नम्बर की खातेदारी से 641/18024 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 बाबूसिंह का नाम हटा दिया जावे। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.49 हैक्टेयर में भी तीनों के नाम 641/18024, 641/18024 व 641/18024 हिस्सा दर्ज है। यह बाबूसिंह के हिस्सा में आया था। बंटवारा हुआ, तब उसने यह हिस्सा 70000/– रूपये अक्षरे सत्तर हजार रूपये में वादी शंकरसिंह को बेचान कर दिया था, इसलिये भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.49 हैक्टेयर का भी 1923/18024 हिस्सा का खातेदार वादी को घोषित कर दिया जावे व इस खसरा नम्बर 211 रकबा 0.49 हैक्टेयर तन रूपपुरा उदलवास के 641/18024 हिस्सा से प्रतिवादी छीतरसिंह व 641/18024 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 बाबूसिंह के नाम दर्ज है, वह हजफ कर दिया जावे। तथा इसी प्रकार बंटवारा में भूमि खसरा नम्बर 707 रकबा 1.33 हैक्टेयर तन रूपपुरा उदलवास का

टर (फास्ट ट्रेक)
र (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

1923/18024 हिस्सा तीनों के नाम दर्ज है वह पूरा हिस्सा बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 2 बाबूसिंह के हिस्सा में आया हुआ है, इसलिये राजीनामा के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 707 रकबा 1.33 हैक्टेयर तन रूपपुरा उदलवास की खातेदारी से वादी शंकरसिंह का हिस्सा 641/18024 व प्रतिवादी संख्या 1 छीतरसिंह का हिस्सा 641/18024 हटा दिया जावे व प्रतिवादी बाबूसिंह को 1923/18024 हिस्सा का खातेदार घोषित कर दिया जावे। इस खसरा नम्बर में प्रतिवादी बाबूसिंह के हिस्सा में आई भूमि में 0.02 हैक्टेयर में नया चाह प्रतिवादी छीतरसिंह व बाबूसिंह ने निर्माण कराया है, इस चाह में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 छीतरसिंह व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी बाबूसिंह का है व इसी अनुसार रहेगा। इस चाह में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड थोई से खाता संख्या 1533/0243 ले रखा है, उसमें भी 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का रहेगा। इसी अनुसार दोनो को इसके मालिक घोषित कर दिया जावे। वादी शंकरसिंह का नाम विद्युत संबंध से हटा दिया जाने का आदेश दिया जावे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि नई जमाबंदी में हिस्सा दर्ज है, उनके अनुसार प्रार्थना पत्र के दर्ज अनुसार दावा डिक्री कर दिया जावे।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया एवं कथन किया कि वादपत्र वादी एवं कास दावा प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जावें। वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस राजीनामा के तथ्यों का दोहरान कर वाद वादी एवं कास दावा स्वीकार करने का कथन किया।

हमनें बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड, दस्तावेजात, राजीनामा व कास दावा प्रतिवादीगण व प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि :–

1. वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नंबर 191, 197, 211, 346, 357, 359, 360, 361, 648, 649, 652, 706, 707 कुल किता 13 रकबा 7.51 हैक्टेयर तन रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में के हाल राजस्व रिकार्ड में वादी सं01 व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के प्रत्येक के 641/18024 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।
2. वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नंबर 126/2, 160/2 कुल किता 2 रकबा 0.54 हैक्टेयर तन रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. सम्पूर्ण हाल राजस्व रिकार्ड में वादी सं01 के नाम दर्ज रिकार्ड है।
3. वादी सं01 व प्रतिवादी सं0 1 व 2 एक ही पिता की संतान होने से एक ही परिवार के सदस्य है। अर्थात वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।
4. पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। तथा प्रतिवादीगण के कास दावा को वादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

क्टर (फास्ट ट्रेक)
ुर (सीकर)

5. राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19, आदेश 12 नियम 6 सीपीसी, आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता/ राजीनामा के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है। परन्तु वादपत्र में उल्लेख है कि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.49 है0 में हिस्सा 1923/18024 प्रतिवादी बाबूसिंह के हिस्से में आयी थी जो प्रतिवादी बाबूसिंह द्वारा वादी सं01 को बेचान की गयी है अतः बेचान के संदर्भ में केवल मात्र किन्ही पक्षकारान् के द्वारा आपस में मिल बैठकर राजीनामा कर लिये जाने मात्र से किसी कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार अन्य किसी दीगर व्यक्ति को कानूनन सृजित नहीं किये जा सकते। अतः खसरा नम्बर 211 रकबा 0.49 है0 में हिस्सा 1923/18024 जो 70000/– में क्रय किया गया है पर वर्तमान में देय प्रचलित डी0एल0सी0 दरों से स्टाम्प ड्यूटी राज्यकोष में जमा करवाने पर ही वादी को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।
6. अतः उपरोक्त शर्त पर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19, आदेश 12 नियम 6 सीपीसी, आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता/ राजीनामा के आधार पर वादपत्र वादी व क्रास दावा प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी व प्रतिदावा प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि राजस्व ग्राम रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में हाल खसरा नंबर 191, 197, 357, 359, 360, 361, 648, 649, 652, 706 कुल किता 10 रकबा 5.31 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में 641/18024 हिस्से में दर्ज खातेदार बाबूसिंह पि. लालसिंह एवं 641/18024 हिस्से में दर्ज खातेदार शंकरसिंह पि. लालसिंह का नाम हजफ किया जाकर इस हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 छीतरसिंह पि. लालसिंह के नाम, तथा खसरा नं0 346 रकबा 0.38 है0 के राजस्व रिकार्ड में 641/18024 हिस्से में दर्ज खातेदार बाबूसिंह पि. लालसिंह एवं 641/18024 हिस्से में दर्ज खातेदार छीतरसिंह पि. लालसिंह का नाम हजफ किया जाकर इस हिस्से की खातेदारी वादी सं0 1 शंकरसिंह पि. लालसिंह के नाम, तथा खसरा नं0 211 रकबा 0.49 है0 के राजस्व रिकार्ड में 641/18024 हिस्से में दर्ज खातेदार बाबूसिंह पि. लालसिंह एवं 641/18024 हिस्से में दर्ज खातेदार छीतरसिंह पि. लालसिंह का नाम वर्तमान में देय प्रचलित डी0एल0सी0 दरों से स्टाम्प ड्यूटी राज्यकोष में जमा करवाने पर ही हजफ किया जाकर इस हिस्से की खातेदारी वादी सं0 1 शंकरसिंह पि. लालसिंह के नाम, तथा खसरा नं0 707 रकबा 1.33 है0 के राजस्व रिकार्ड में 641/18024 हिस्से में दर्ज खातेदार शंकरसिंह पि. लालसिंह एवं 641/18024 हिस्से में दर्ज

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खातेदार छीतरसिंह पि. लालसिंह का नाम हजफ किया जाकर इस हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं0 2 बाबूसिंह पि. लालसिंह के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती हैं। साथ ही यह घोषणा की जाती है कि खसरा नं0 707 रकबा 1.33 है0 में 0.02 है0 में बने चाह में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 छीतरसिंह पि. लालसिंह तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 बाबूसिंह पि. लालसिंह का रहेगा एवं विद्युत कनेक्शन सं0 1533/0243 में सुगन कंवर तथा वादी शंकरसिंह पि. लालसिंह का नाम हजफ किया जाकर 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 छीतरसिंह पि. लालसिंह तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 बाबूसिंह पि. लालसिंह का घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के नाम दर्ज भूमि खसरा नंबर 126/2, 160/2 कुल किता 2 रकबा 0.54 हैक्टेयर तन रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही करें तथा शेष वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नंबर 191, 197, 211, 346, 357, 359, 360, 361, 648, 649, 652, 706, 707 कुल किता 13 रकबा 7.51 हैक्टेयर तन रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही करें। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राजात, रहन बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

04.01.2021

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)